कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा व हक),राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-जी.डी.1/नीलामी/अनुप्रयोगी सामग्री/के-19/2026-27 दिनांक:15.04.2026

नीलामी सूचना

कार्यालय स्टोर में उपलब्ध अनुप्रयोगी/नकारा सामग्री यथा फर्नीचर, चेयर इत्यादी की यथास्थिति आधार पर खुली बोली प्रक्रिया द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2026 को अपराहन 3 बजे नीलामी की जावेगी । जो भी फर्म/व्यक्ति उपरोक्त सामग्री क्रय करने में रूचि रखते हो उन्हें नीलामी में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है। सामान का निरिक्षण दिनांक 15.04.2026 से कार्यालय समय में किसी भी दिन किया जा सकता है। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सदस्य एवं उनके परिजन इस नीलामी में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

संलग्न: नीलामी की शर्तें।

वरि.लेखाधिकारी/जी.डी.

126

नीलामी की शर्तें

1. सामान जैसा है, जहां है के आधार पर खुली बोली के माध्यम से नीलाम किया जावेगा ।

2. बोलीदाता को बिड़ लगाने से पूर्व धरोहर राशि रू. 3000/-(अक्षर राशि रू. तीन हजार मात्र) का बैंकर्स चैक/डिमांड ड्रॉफट जो कि Pay & Accounts officer (I.A.&A.D.) Rajasthan, Jaipur के नाम देय हो जमा कराना होगा । उक्त बैंकर्स चैक/डिमांड ड्रॉफट कार्यालय में बिड समय से पूर्व भौतिक रूप से पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।

असफल बोलीदाता को धरोहर राशि बिड़ प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत लौटा दी जावेगी एवं सफल बोलीदाता को नीलामी पूर्ण होने के उपरांत कार्यालय से सामान ले जाने के बाद लौटाई जावेगी।

3. सफल बोलीदाता को 25 प्रतिशत राशि नगद बिड के उपरांत जमा करानी होगी एवं शेष राशि 05 कार्यदिवस में कार्यालय में बैंकर्स चैक/डिमांड ड्रॉफट जो कि Pay & Accounts officer (I.A.&A.D.) Rajasthan, Jaipur के नाम देय हो से जमा कराना होगा।

4. नीलामी राशि जमा होने के 10 दिवस में समस्त सामान अपने खर्चे पर उठाना होगा । 10 दिन के बाद सामान नहीं उठाने पर 500/- प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देय होगा एवं अधिकतम 10 दिन के बाद बोली निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।

5. कार्यालय के विचार में यदि पर्याप्त मूल्य नहीं आया तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्य बोली को भी रद्द कर नीलामी की प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है।

6. सभी कर एवं प्रभार खरीददार को वहन करने होंगें । नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को नियमानुसार जी.एस.टी. जमा कराकर कार्यालय को चालान प्रस्तुत करना होगा साथ ही पैन कार्ड एवं आधार कार्ड जमा कराने होंगें ।

7. नीलामी के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर शहर स्थित न्यायालय ही होंगें।

8. समस्त अधिकार प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) के पास आरक्षित रहेंगें।

वरि.लेखाधिकारी/जी.डी.